

भा.कृ. अनु. परि.- भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ
बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए प्रपत्र

शैक्षणिक वर्ष के लिए दावा :

मैं एतद्वारा अपने बच्चे/बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता हूँ और संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत करता हूँ :-

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम		
2.	कर्मचारी कोड		
3.	पद		
4.	इकाई का नाम		
5.	यदि पति/पत्नी कार्यरत हैं, तो बताएं कि क्या केंद्र सरकार में है। , पीएसयू, राज्य सरकार। (पति/पत्नी के नाम के साथ विवरण दें)		
6.	यदि पति/पत्नी रेलवे में कार्यरत हैं तो पदनाम, कार्यालय एवं जीवनसाथी की बी.यू. संख्या		
7.	बच्चे/बच्चों का विवरण जिनके लिए सीईए/छात्रावास सब्सिडी का दावा किया गया है:-		
	अनुक्रम	बच्चे के नाम	जन्म तिथि
	कक्षा	स्कूल / संस्थान का नाम और स्थान	
	पहला बच्चा		
	दूसरा बच्चा		

8. खर्च की पुनः प्रतिपूर्ति:-

अनुक्रम	अवधि	बाल शिक्षा भत्ता की दर (रु.)	दावे की राशि	टिप्पणियां
पहला बच्चा				
दूसरा बच्चा				
दावा की गई कुल राशि रु.				

9. बच्चे के छात्रावास / कर्मचारी के निवास से दूरी (छात्रावास सब्सिडी के मामले में):-
10. सीईए/छात्रावास सब्सिडी की राशि जो कि पिछली तिमाही तक पहले ही प्राप्त हो चुकी है:-
11. शैक्षणिक वर्ष जिसके लिए सीईए / छात्रावास सब्सिडी के लिए आवेदन किया गया है:-
12. (a). क्या वह बच्चा जिसके लिए सीईए के लिए आवेदन किया गया है, एक विकलांग बच्चा है: हाँ / नहीं
 (b). यदि हाँ, तो निःशक्तता की प्रकृति का उल्लेख करें:-
 (c). विकलांगता प्रमाण पत्र की तिथि:-
 (d). विकलांगता का प्रतिशत बताएं:-
13. क्या संस्थान के प्रमुख से वास्तविक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है: हाँ / नहीं
14. छात्रावास सब्सिडी के लिए, राशि का उल्लेख करने वाला वास्तविक प्रमाण पत्र संलग्न है:-
15. यदि हां, तो मद संख्या 14 पर छात्रावास सब्सिडी के लिए दावा की गई राशि रु.....
16. (a). प्रमाणित किया जाता है कि मैं या मेरी पत्नी/पति/केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ।
 (b). प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति श्री/श्रीमतीवर्तमान में के रूप में काम कर रहा है: में और यह कि वह ऊपर उल्लिखित बच्चे/बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए आवेदन नहीं करेगा/आवेदन नहीं करेगा।
 (c). प्रमाणित किया जाता है कि मैंने या मेरी पत्नी/पति ने किसी अन्य स्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और भविष्य में इसका दावा नहीं करेंगे।
17. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा जिसके संबंध में बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति लागू है, स्कूल/जूनियर कॉलेज में पढ़ रहा है जो शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और संबद्ध है।
18. प्रमाणित किया जाता है कि मैं केवल अपने दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के संबंध में सीईए का दावा कर रहा हूँ, ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है और मैंने किसी भी आवश्यक जानकारी को छुपाया नहीं है। ऊपर दिए गए विवरण में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, जो बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मैं इसे तुरंत सूचित करने और अतिरिक्त भुगतान यदि कोई हो तो वापस करने का वचन देता हूँ। इसके अलावा, मुझे पता है कि यदि किसी चरण में ऊपर दी गई जानकारी/दस्तावेज गलत हैं, तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ।

दिनांक :-.....

स्थान :-

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम :-.....

पद :-.....

प्राधिकरण भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पी.जी. और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली आदेश संख्या ए-27102/02/2017-स्था। (एएल) 16 अगस्त 2017 द्वारा प्राधिकृत

(यह आदेश 01 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा)

संस्थान / स्कूल के प्रमुख से प्रमाण पत्र

(प्रतिपूर्ति सीईए के लिए)

संदर्भ संख्या:-

दिनांक:-

प्रमाणित किया जाता है कि मास्टर/कुमारी प्रवेश

संख्या. जन्मतिथि पुत्र/पुत्री

श्रीमान/श्रीमती का स्कूल/संस्थान का वास्तविक छात्र है और कक्षा में

पढ़ता है खंड अनुक्रमांक.....

है, पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान अर्थात् संबद्धता रजि./ कोई कोड

..... और नमूना

पाठ्यक्रम ।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राचार्य के हस्ताक्षर

(स्कूल मुहर)

स्वयं घोषित

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री अर्थात्
..... कक्षा में अध्ययन
खण्ड अनुक्रमांक पिछले
शैक्षणिक वर्षके दौरानविद्यालय में
अध्ययनरत है।

ऊपर दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में जो बाल शिक्षा भत्ते के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है। मैं इसे तुरंत सूचित करने और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, वापस करने का वचन देता हूँ।

स्थान :-

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

दिनांक :-

नाम :-

पद :-.....

ICAR – ई मेल आई डी.:-

मोबाइल नंबर .:-

बैंक खाता संख्या :-

IFSC कोड:-

ICAR- INDIAN INSTITUTE OF SEED SCIENCE , MAU
FORM FOR RE – IMBURESMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

CLAIM FOR THE ACADEMIC YEAR :

I hereby apply for the reimbursement of children Education allowance / Hostel Subsidy for my child/ children and relevant particulars are furnished below:-

1.	Name of the Govt. Servant		
2.	Employee Code.		
3.	Designation		
4.	Name of the Unit		
5.	If Spouse is employed , state whether in Central Govt. , PSU, State Govt. (give details with name of the Spouse)		
6.	Designation, Office & B. U. No. of Spouse , if Spouse is employed in Railway		
7.	Details of the child/ Children for whom CEA / Hostel Subsidy claimed :-		
	Sequence	Name of Child	DOB
			Standard (A.Y.)
			Name & Place of the School/ Institution
	1 st Child		
	2 nd Child		

8. Re – Imbursement of Expenditure:-

Sequence	Period	Rate of CEA(Rs.)	Amount Claimed	Remarks
1 st Child				
2 nd Child				
	Total amount claimed Rs.			

9. Distance of Hostel of child / from residence of employee (in case Hostel Subsidy):
10. Amount of CEA / hostel Subsidy already received up to previous quarter:
11. The Academic year for Which CEA / Hostel Subsidy Is applied now:
12. (a). Whether the child for whom the CEA is applied for is a disabled child: Yes /No
- (b). If Yes, indicate the nature of disability:
- (c). Date of disability certificate:
- (d).Indicate the percentage of disability :
13. Whether the Bonafide certificate from Head of Institute has been attached: Yes / No
14. For Hostel Subsidy, the Bonafide certificate from mentioning the amount is attached:
15. If Yes at Item No. 14 Amount claimed for Hostel Subsidy Rs.....
16. (a).Certified that I or my wife / husband / is not a central Government servant.
- (b). Certified that my wife / husband Sri/Smt.....is presently working as:inand that he /she shall not apply/ has not applied for the Children Education Allowance for the child / children mentioned above.
- (c). Certified that I or my wife /husband has not claimed this re- imbursement from any other source and will not claim the same in future.
17. Certified that my child in respect of whom re-imbursement of Children Education Allowance is applied is studying in the school/ Jr. College which is recognized and affiliated to Board of Education / University.
18. Certified that I am claiming the CEA in respect of my two eldest surviving Children only, The Information furnished above are complete and correct and I have not suppressed any relevant information. In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for re-imbursement of Children Education Allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments if any made. Further , I am aware that if any stage the information / documents furnished above to be false , I am liable for disciplinary action.

Date:-.....

Place:-

(Signature of Govt. servant)

Name:-.....

Design:-.....

Authority vide Government of India Ministry of Personal P.G. and Department of personal & Training New Delhi Order No. A-27102/02/2017-Estt. (AL) 16 August 2017

(This Order shall be effective from 01July 2017)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/ SCHOOL

(For Reimbursement CEA)

Ref No.:-

Date :-

It is certified that Master /Kumari having Admission

No. D.O.B. Son / Daughter of

Mr./Mrs..... is bonafied student of this School/ Institution and and

studied in class sec..... Roll No.

during the previous Academic year namely.....

Vide affiliation Regd. No. / Code.....

and pattern..... curriculum.

Place :-

Date:-

Signature of Principal

(Affix School Stamp)

SELF DECLARATION

Ido hereby certify that my Son/Daughter namely
..... Studies in Class.....
Sec. Roll No. during previous
Academic Year.....in
..... School.

In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for Children Education Allowance. I undertake to intimate the same promptly and refund excess payment, if any made to me.

Place :-

(Signature of Govt. Servant)

Date:-

Name: -

Designation:-.....

ICAR -E. Mail I. D.:-

Mobile No.:-

Bank A/C No: -

IFSC Code:-